

व्यवहारवाप क्रं. 1B/2018

त्रैमन्थाव धानकु

खनाम

मुन्नाबाव वस्नेट

आदेश दिनांक - 28/01/2020

R.R.No -

समय दोपहर 12:00 बजे—

28.01.2020

वादी प्रेमलाल धानक अनुपस्थित।

वादी प्रेमलाल धानक की ओर से अधिवक्ता श्री
एल०के०पाठक उपस्थित नहीं।

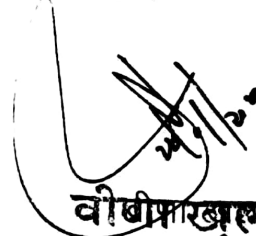
प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय घोषित।

दावा वादी की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है।

पृथक —पृथक समय में पुकार लगाई गई।

परंतु वादी पक्षकार उपस्थित नहीं और न ही
उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित है।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।



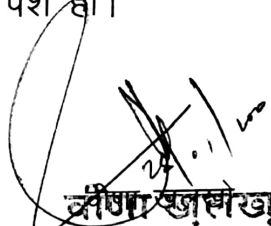
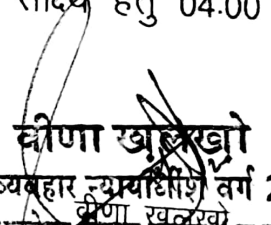
वीवीपारखामहो

व्यवसायिक न्यायाधीश संघर्ष-2

गढ़ाकोडाकीला सिचर (स.स.स.)

Order Sheet [Contd]

Case No. Res-1 B of 2018

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	समय दोपहर 1:00 बजे— वादी प्रेमलाल धानक अनुपस्थित। वादी प्रेमलाल धानक की ओर से अधिवक्ता श्री एल0के0पाठक उपस्थित नहीं। प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय घोषित। दावा वादी की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है। पृथक —पृथक समय मे पुकार लगाई गई। परंतु वादी उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।  जीष्णा खन्ना व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गढ़ाकोट जिला सागर (म.प्र.)	
	समय दोपहर 3:00 बजे— वादी प्रेमलाल धानक अनुपस्थित। वादी प्रेमलाल धानक की ओर से अधिवक्ता श्री एल0के0पाठक उपस्थित नहीं। प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय घोषित। दावा वादी की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है। पृथक —पृथक समय मे पुकार लगाई गई। परंतु वादी उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण वादी की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु 04:00 बजे पेश हो।  जीष्णा खन्ना व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गढ़ाकोट जिला सागर (म.प्र.)	

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

न्यायालय

समय दोपहर 5:15 बजे-

वादी प्रेमलाल धानक अनुपस्थित।

वादी प्रेमलाल धानक की ओर से अधिवक्ता श्री
एल०के०पाठक उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय घोषित।

दावा वादी की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है।

पृथक -पृथक समय में पुकार लगाई गई।

परंतु वादी उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर
से अधिवक्ता उपस्थित है।

दावा का परिशीलन किया गया।

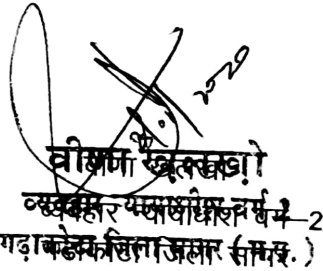
दावे के परिशीलन से दर्शित होता है कि दावा
वादी की एकपक्षीय साक्ष्य के स्तर पर दिनांक 25.01.2019
12.03.2019, 26.04.2019, 20.06.2019, 19.07.2019,
02.08.2019, 04.09.2019, 17.09.2019, 04.10.2019,
27.11.2019, 18.12.2019 से आज दिनांक तक वादी
की एकपक्षीय साक्ष्य पर है। परंतु साक्ष्य पेश नहीं है।

आज दिनांक को वादी अधिवक्ता पैरवी हेतु
उपस्थित नहीं है।

अतः आदेश 9 नियम 5 सीपीसी० के तहत प्रकरण
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

व्यय तालिका बनायी जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर व्यवहार वाद 'बी' में
दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।


वीक्षण अधिकारी
व्यवहार प्रशासक
गढ़ा बहेलवा जिला जलार (समर.)